<u>जनपद बाराबंकी</u>

दिनांक 08.09.2020

थाना कोतवाली नगर पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 15 हजार रुपये नकद बरामद ।

वादी सुधीर कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व0 रामशंकर श्रीवास्तव निवासी मोहल्ला कचेहरान-2 थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी (श्रीवास्तव रोड लाइन्स ट्रांसपोर्ट के मालिक) द्वारा थाना कोतवाली नगर पर को ट्रक सहित माल चोरी होने के सम्बन्ध में दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 19.09.2019 मु0अ0सं0 846/2019 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना व साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त मुकदमें में धारा 406/419/420/467/468/471 भादवि की बढोत्तरी की गयी।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी डॉ अरविन्द चतुर्वेदी द्वारा उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) के दिशा-निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री पंकज कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 08.09.2020 को प्रकाश में आये अभियुक्त संदीप मिश्रा पुत्र भोलानाथ निवासी तेलियानी मजरे असेरवा थाना बीकापुर जनपद आयोध्या को समय करीब 09.15 बजे पुराना बस स्टाप थाना कोतवाली नगर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 15,000/-रुपये नकद बरामद की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमें से सम्बन्धी बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

संदीप मिश्रा पुत्र भोलानाथ निवासी तेलियानी मजरे असेरवा थाना बीकापुर जनपद आयोध्या।

<u>गिरफ्तारी का स्थान/समय -</u>

दिनांक 08.09.2020 को समय करीब 09.15 बजे पुराना बस स्टाप थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।

<u>बरामदगीः-</u>

15,000/-रुपये नकद

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

अभियुक्त संदीप मिश्रा ने पूछताछ पर बताया कि सूरज जयसवाल और वह दोनों ट्रक चलाते है। सूरज जयसवाल पूर्व से डब्लू सिंह के एजेंसी पर काम करता था। उसने डब्लू सिंह की एजेंसी से एक ट्रैक्टर खरीदा था तभी से डब्ल्यू सिंह एवं सूरज से दोस्ती हो गई थी। घटना के दिन सूरज के कहने पर

सरसों लदी ट्रक को लेकर रात में अयोध्या कुचेरा बाजार मिल्कीपुर में बेचने का प्रयास किया गया जब माल नही बिका तो डब्ल्यू सिंह के कहने पर उसने डब्लू के भाई राकेश जायसवाल व ड्राइवर सूरज के साथ सरसों लदी हुई ट्रक को डब्ल्यू सिंह के घर पर लाकर खड़ी करके खाली करा दिया था। डब्ल्यू सिंह ने सरसों को अपने घर में रखवा लिया था। ट्रक मालिक राकेश को वही रोक लिया और उसे व सूरज को कहा कि तुम लोग ट्रक को कहीं छोड़कर गायब हो जाओ जब सरसों बिक जाएगी तो जो भी रुपये मिलेगे आपस में बांट लेगें। वह सूरज के साथ ट्रक लेकर प्रतापगढ़ सीमा के पास छोड़ कर आया इसके बाद डब्ल्यू सिंह ने धीरे-धीरे पूरा माल 06 लाख में बेच दिया और उसे मात्र 40000 रुपये दिया था उसी में से बचा हुआ 15000/-रुपये जो बरामद हुआ है।

पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री पंकज कुमार सिंह जनपद बाराबंकी।
2. उ0नि0 सुधीर कुमार यादव थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।
3. हे0का0 विनोद पटेल थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी